

वाद वादी वकील श्री..... द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।

1. वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है ।
2. वाद श्रवणाधिकार क्षेत्र का है ।
3. नियमानुसार कोर्ट फीस पर है ।
4. प्रतिवादी पक्ष का पूर्ण पता अंकित है ।
5. प्रतिवादी पक्ष के पर्याप्त सम्मन एवं पर्याप्त वाद की प्रति संलग्न की है ।
6. पर्याप्त हेतुक दर्शाया गया है ।
7. वाद पात्र के साथ नवीनतम/आवश्यक राजस्व रेकार्ड संलग्न है ।

रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामें पेश है ।

हस्ताक्षर लिपिक

17-7-15 वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जावे ।  
पत्रावली वाले जवाब दिनांक ..... 10-8-18 ..... को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी  
अकलेरा

10-8-18

पत्रावली पक्ष की वकील का निदेशावली/प्रतिवादी  
 नं. (क) सत्याजिथान न अतिवादी (क) वीमलजान अतिवादी  
 दुर्गा अतिवादी सत्याजान न सतीनार बाबूफ दुर्गा  
 दुर्गा अतिवादी सत्याजिथान न वीमलजान वीमल  
 के अतिवादी RSV ने अतिवादीगण पेश किए जो अतिवादी  
 किंग जमान वकील अतिवादी ने प्रथम पक्ष को दस्तावेजों  
 की अतिवादी पक्ष की नकल प्रथम वकील वादी को प्रिलेन  
 नकल (पत्रावली वाले जवाब प्रथम नं दिनांक 22  
 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी  
अकलेरा



6/6/23 पत्रावली 8/0 दिनांक 18/8/23 पेश हो  
 18/7/23 पत्रावली 8/0 दिनांक 12/9/23 पेश हो  
 12/9/23 पत्रावली 8/0 दिनांक 14/10/23 पेश हो  
 17/10/23 पत्रावली 8/0 दिनांक 13/12/23 पेश हो  
 13/12/23 पत्रावली 8/0 दिनांक 14/2/24 पेश हो

14/2/24 पत्रावली 8/0 दिनांक 14/2/24 पेश हो  
 पत्रावली 8/0 दिनांक 14/2/24 पेश हो  
 पत्रावली 8/0 दिनांक 14/2/24 पेश हो

06/03/24 पत्रावली 8/0 दिनांक 06/03/24 पेश हो  
 उपखण्ड अधिकारी  
 अकलेरा (झालावाड़)

8/3/24 पत्रावली 8/0 दिनांक 8/3/24 पेश हो  
 पत्रावली 8/0 दिनांक 8/3/24 पेश हो  
 पत्रावली 8/0 दिनांक 8/3/24 पेश हो  
 पत्रावली 8/0 दिनांक 8/3/24 पेश हो  
 पत्रावली 8/0 दिनांक 8/3/24 पेश हो  
 पत्रावली 8/0 दिनांक 8/3/24 पेश हो  
 पत्रावली 8/0 दिनांक 8/3/24 पेश हो  
 पत्रावली 8/0 दिनांक 8/3/24 पेश हो  
 पत्रावली 8/0 दिनांक 8/3/24 पेश हो  
 पत्रावली 8/0 दिनांक 8/3/24 पेश हो

उपखण्ड अधिकारी  
 अकलेरा (झालावाड़)